



FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री फैजल खान

बनाम

श्री सलीम खान व अन्य

मुद्दा नं० 53,188 RTA

मु०न० 115 सन 2018

क्रमांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
24-10-18	<p>वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 24-10-2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	<p>सम्मनपत्र 4381-87 21-10-18</p> <p>Nde pres Ditesh 24/10/18</p>
24-10-18	<p>वकील वादी उपस्थित जिनसे कथन लिए कि आपसी शान्तिनासा हो जाने से वादी एवं भोग कोई कार्यवाही नहीं चालते हैं। उक्त आशय का हुक्म "नोट पेस" अंकित किया। चूंकि वादी वाद के सर्वेसर्वा हैं तथा वाद में भोग कोई कार्यवाही नहीं चालने के इरादे लिए हैं, ऐसी स्थिति से वादी का वाद इसी स्तर पर खींचा जाता है। मिसल केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	